IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

Chapter VIII, Rule 32(2) (b)
Description of case

Writ Petition No. 344 of 2002 (M/B)

Date of decision: 20th June, 2006

A.F.R. (Approved for Reporting)

~~Not Approved for Reporting~~

Date 20.06.2006. Initials of Judge

Not: Bench Reader will attach this at the top of first page of the judgment when it is put up before the Judge for signature.

IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

Writ Petition No. 344 of 2002 (M/B)

Arun Kumar S/o Sri Palu Das,
R/o Village Kheldi, Bhadrabad. ..... Petitioner

Versus

1. State of Uttaranchal,
   through Secretary, Finance.
2. Collector,
   Haridwar.
3. Senior Treasury Officer,
   Haridwar. ..... Respondents

Mr. Sharad Sharma, Advocate for the petitioner.
Mr. Subhash Upadhyaya, Standing Counsel for the respondents.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble Rajeev Gupta, C.J.
Hon'ble Prafulla C. Pant, J.

RAJEEV GUPTA, C. J. (Oral)

Mr. Sharad Sharma, Advocate for the petitioner.

Mr. Subhash Upadhyaya, Standing Counsel for the respondents.

They are heard on admission.

2. Petitioner Arun Kumar has filed this writ petition for the following reliefs:

> "(a) To issue writ or order direction in the nature of mandamus commanding the respondents to regularize the petitioner on the post of peon (4th class) and further to allow the petitioner to sign the attendance register.
>
> (b) To issue writ order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents to pay up to date salary to the petitioner.
>
> (c) To pass such further orders or directions which are just and proper in the facts of the case."

3. Mr. Sharad Sharma, the learned counsel for the petitioner vehemently argued that the respondents have not regularised the

petitioner's services though he is serving them for the last about 8 years.

4. Admittedly, the prescribed procedure was not followed in the appointment of the petitioner. The post was never advertised in any newspaper and no applications were invited from the aspirants for the post.

5. The irregularities committed in the appointment of the petitioner are spelt out in paras 4 to 9 of the counter affidavit, which read as follows:

> "4. यह कि रिट याचिका का प्रस्तर–2 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। याची, जो हरिद्वार कोशागार, अधिश्ठान में कार्यरत सहायक कोशधिकारी श्री पालूदार का पुत्र है। इसी प्रकार अनियमित एवं अवैध ढंग से नियोजित एक अन्य कार्मिक श्री मोहन कुमार, जो तत्कालीन अधिश्ठान सहायक श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव का सगा साला है, प्रारम्भिक जॉचोपरान्त इनकी नियुक्तियॉ विधिसम्मत नहीं पायी गयी। इस आधार पर जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 93/कोश–शिविर/कार्यालय/2001–2002 दिनांक 14.12.2001 द्वारा तत्कालीन अधिश्ठान सहायक श्री रविन्द्र श्रीवास्तव को निलम्बित कर दिया गया था। इस निलम्बन आदेश के विरूद्ध योजित सिविल रिट याचिका सं0 7245 (एस0एस0)/2001 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 21.12.01 में प्रतिशपथपत्र लगाया जा चुका है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकरण पूर्व से ही न्यायिक परिधि में है। वास्तव में शासन के पत्रांक एस–3/2217/11/दस–99 दिनांक 28.8.99 द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण तत्कालीन अधिश्ठान सहायक श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव ने मिली भगत कर मनमाने तरीके से पक्षपातपूर्ण ढंग से कपटपूर्वक 11 माह की बैक डेटिंग कर केवल उक्त दोनों कार्मिकों की, जो कोशागार, हरिद्वार में नियुक्ति कार्मिकों के निकट सम्बन्धी थे, की नियुक्ति नोट शीट पर बिना सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी, हरिद्वार) की स्वीकृति के तत्कालीन वरिश्ठ कोशाधिकारी द्वारा अनुमोदित करा ली। वस्तुतः याची सहित नियत वेतन पर एक अन्य कार्मिक के योजन को नियुक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इन नियुक्तियों हेतु न तो समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ और न ही सेवायोजन कार्यालय से अर्ह कार्मिकों की सूची प्राप्त की गयी। इस हेतु न तो कोई चयन समिति घोषित की गयी और न

ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विविधत नियुक्त आदेश निर्गत किया गया। दोनो कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धित कोई प्रमाणक भी अभिलेख में नही है एवं इनकी अक्टुबर 98 से उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई प्रमाण्क नही है। दोनों कार्मिको को 10/98 से 9–99 तक की अवधि का 12 माह का नियत वेतन रू0 61,200/ एक साथ दिनांक 31–10–99 को आहरित कर तत्कालीन अधिष्ठान सहायक श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव ने प्राप्त किया। 12 माह तक वेतनपूर्व में नियमित आहरित न किये जाने एवं एक साथ दिनांक 31–10–99 को आहरित किया जाना भी इसकी अप्रत्यक्ष पुष्टि करता है कि उक्त शासनादेश दिनांक 28–7–99 को अप्रभावी बनाने के उद्देश्य एवं सरकारी धन के कपटपूर्ण आहरण कर निजी प्रयोगार्थ 11 माह की बैक डेटिंग जानबूझकर नियम विरूद्ध की गयी। केवल दो ही निकट सम्बन्धियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर उन्ही दोनो को अवैघ नियुक्ति प्रदान कर आपराधिक प्रवृति का कृत्य है। इस प्रकार उपरोक्त तत्थें के आधार पर याची का यह कथन कि वह 10/98 से एक अन्य कार्मिक श्री मोहन कुमार के साथ नियत वेतन रू0 2550/ पर नियुक्त है, असत्य है। वास्तव में यह नियुक्ति की श्रेणी में आच्छादित नही होता है। इस क्रम में पालूदास का प्रार्थनापत्र पत्र दिनांक 18–8–2001, प्रारम्भिक जॉच आख्या दिनांक 23–8–2001, कार्यालय आदेश दिनांक 14–12–2001, रिट याचिका सं0 7245/2001 में दाखिल प्रतिशपथपत्र, पत्र दिनांक 28–7–99 एवं मुख्य रोकड़िया के पत्र की छायाप्रतियों क्रमशः संलग्नक सी0ए0 1, सी0ए0 2, सी0ए0 3, सी0ए0 4, सी0ए0 5, सी0ए0 6 एवं सी0ए0 7 के रूप मे संलग्न की जा रही है।

5 यह कि रिट याचिका का प्रस्तर 3 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। याची का 1/10/98 से योगदान किये जाने सम्बन्धी कोई भी प्रमाणक कार्यालय अभिलेखों में नही है, न ही याची को कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। कार्यालय की गोपनीय पत्रावली की प्रति याची को कैसे प्राप्त हो गयी है, यह भी एक विचारणीय बिन्दु है। याची यदि वास्तव में 10/98 से विधिवत नियुक्त होता, तो कोषागार अधिष्ठान के अन्य कार्मिकों की तरह प्रतिमाह 10/98 से ही वेतन अंतरण उसके खाते में जमा होता। वस्तुतः तत्समय नियुक्त नियुक्त कोषाधिकारी एंव अधिष्ठान सहायक ने मनमाने व अवैध तरीके से पक्षपातपूण रवैया अपनाते हुए लगभग रू 1,07,100/– का अनियमित भुगतान कर सरकार को राजस्व क्षति पहुंचाई। इस हेतु पृथक से निदेशक, कोषागार एव वित्त सेवायें, उत्त्राचंल, देहरादून ने अपने पत्र दिंनाक 10 जनवरी, 2002 के द्वारा तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री ए0एस0 राणा

के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सचिव, वित्त, उ0प्र शासन लखनऊ, एवं निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनउ को लिखा गया, जिस पर कार्यवाही प्रस्तावित है साथ ही तत्कालीन अधिष्ठान सहायक, श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध भी अलग से विभागीय कार्यवाही की जा रही है। किसी अधिकारी व अधिष्ठान सहायक की मिलीभगत एव दुरूभिसधि कर अनियमित एवं अवैध भुगतान कर देने से किसी व्यक्ति का नियुक्ति का स्वमेव वैध दावा नहीं हो जाता है, जैसा कि इस प्रतिशपथपत्र के पस्तर 4 में स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी दृष्टिकोण से ये पदस्थापना नियुक्ति की श्रेणी में नही आती। इस क्रम में पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2002 की छायाप्रति संलग्गक सी0ए0 8 के रूप में संलग्न की जा रही है।

6. यह कि याचिका का प्रस्तर–4 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। दिनांक 3/7/2002 को नये वरिश्ठ कोषाधिकारी के हरिद्वार में योगदान ग्रहण करने एवं एक शिकायती पत्र पर निदेशायल स्तर से जॉच प्रारम्भ हो जाने के कारण याची ने स्वंय कार्यालय आना बन्द कर दिया, क्योंकि याची को अपनी अवैध नियुक्ति का स्वंय ज्ञान था। दिनांक 2–8–2001 को याची द्वारा प्रस्तुत रिट के संलग्नक–3 पर याची द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की बात झूठी एवं निराधार है। ऐसा कोई पत्र कार्यालय अभिलेख में नहीं है।

7. यह कि रिट याचिका का प्रस्तर–5 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। यदि याची वैध रूप से नियुक्त होता तो आडिट के कारण उनको भुगतान रेाकने का कोई औचित्य नही था। याची आज के दिनांक तक कार्यालय में नियमित रूप से कार्य करने हेतु कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। याची द्वारा दिनांक 4–5–2002 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने की बात भी सरासर झूठी एवं भ्रामक है। साक्ष्य स्वरूप वर्तमान अधिष्ठान सहायक की आख्या संलग्नक सी0ए0–9 के रूप में सलग्न की जा रही है। याची के साथ ही अवैध रूप से नियत वेतन पर तत्समय नियोजित एक अन्य कार्मिक श्री मोहन कुमार भी तभी से कायग्रलय में नियमित रूप से कार्य करने हेतु कभी भी उपस्थित नही हुआ और न ही वेतन भत्तों की मॉग की। याची को वेतन दिये जाने का वर्णित परिस्थितियों में काई दावा ही उत्पन्न नही होता है।

8. यह कि रिट याचिका का प्रस्तर–6 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किय गया है, अस्वीकार है। याची ने दिनांक 4–5–2002 को लिखित कोई आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से कोषागार में प्रेषित नही किया। यदि याची नियमित रूप से कार्यालय में कार्य हेतु उपस्थित हो रहा था तो उसने डाक प्राप्ति सहायक को ही अपना पत्र क्यों नही प्राप्त कराया। इससे स्पष्ट है कि झूठी पेशबन्दी करने हेतु याची भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रहा है। याची ने नियमित वरिष्ठ कोषाधिकारी के अवकाश की अवधि

में अपने पिता श्री पालूदास, सहायक कोषाधिकारी के प्रभारी वरष्ठि कोषाधिकारी के रूप में कार्यरत रहने की अवधि में ही केवल एक आवेदन पत्र दिनांक 6–6–2002 को प्रस्तुत किया। पत्र दिनांक 6–6–2002 की छायाप्रति lyXud lh0,0&10 के रूप में संलग्न की जा रही हैं और दिनांक 27–6–2002 को ही प्रश्नगत रिट याचिका प्रस्तुत की गयी। इससे स्पष्ट है कि याची ने इन आवेदन पत्रों के द्वारा तथ्यों को छुपाने एवं भ्रामक एवं गलत आधार पर माननीय उच्च न्यायालय से वेतन भुगतान हेतु अनुरोध किया है, जो कि अमान्य है।

9. यह कि रिट याचिका का प्रस्तर–7 जिस प्रकार याची द्वारा वर्णित किया गया है, अस्वीकार है। याची विगत एक वर्ष में कभी भी कार्यालय में उपस्थित नही हुआ। अवैध एवं अनियमित नियुक्ति के कारण याची स्वमेव उपस्थित होने का साहस नहीं कर सका। याची ने कार्यालय में उपस्थित होने का कोई प्रमाण भी साक्ष्य स्परूप मा0उ0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। अतएव याची का कथन पूर्णतया असत्य है। चूँकि याची से प्रश्नगत अवधि में कोई कार्य नहीं लिया गया है एवं न ही याची विगत एक वर्ष से कोषागार अधिष्ठान में नियोजित है। अतएव वेतन भुगतान किये जाने का कोई दावा उत्पन्न नहीं होता है।"

6. For the reasons best known to the petitioner, no rejoinder affidavit has been filed to controvert the above factual averments in the counter affidavit, which was filed in the year 2002.

7. From the above-quoted paras 4 to 9 of the counter affidavit, it is evident that petitioner Arun Kumar was the son of the then Assistant Treasury Officer, Haridwar Palu Das. The petitioner's appointment is full of irregularities.

8. The Apex Court, in the case of **Vinod Kumar Gupta and others Vs. Ram Ashray Mahoto and others** reported in **(2005) 4 SCC 209** while considering the right of an irregularly appointed person, observed in paras 11 to 13:

"11. In our opinion the High Court's conclusion is unimpeachable . Rules 73 and 77, assuming them to be constitutionally valid, do not prescribe the mode for the empanelment of the candidates. In 1992, the High Court framed the Bihar Civil Court Staff (Class III and Class IV) Rules, 1992. Rule 7 prescribes advertisements in two daily newspapers in addition to notices on the notice board of the district headquarters as well as the sub-divisional headquarters. It may be that the Rules had no application in 1990 when the appellants were sought to be appointed. Nevertheless as early as in 1984, the High Court had issued a directive on its administrative side in which it was stated that for appointment to Class IV staff in the civil courts, it would not be necessary to advertise the vacancies in the State-level newspapers, but that notices should be placed on the notice board of the respective civil court premises and in the local daily newspaper of the district. This directive was binding on the District Judge. In view of the express instructions, it was not open either to the Nazir, or the Judge-in-charge or the District Judge or the Inspecting Judge to have acted to the contrary in filling up the posts. Admittedly, there was no advertisement issued in any newspaper at all. Furthermore, as far as the second lot of appointees is concerned, there is no evidence of the District judge putting up any notice even on the notice board.

12. Indeed, learned counsel appearing on behalf of the appellants conceded this position but contended that since they had continued to serve for the last 15 years, a selection could be held amongst Appellants 15 to 27. As far as the first 14 are concerned, it is submitted that they should be permitted to continue as there had been an advertisement.

13. The "advertisement" was no "advertisement" as required by the High Court. Without adequate notice no fair opportunity was given to others who might have applied. Apart from this, it does not appear from the records that three was any selection procedure followed at all. There is no explanation why the Selection Committee had been bypassed nor any acceptable reason why the persons who had applied as far back as in 1986

> were ignored. This singular lack of transparency supports the finding of the High Court that the appointments were not made bona fide. The District Judge, who was ultimately responsible for the appointment of Class IV staff violated all norms in making the appointments. It is regrettable that the instructions of the High Court were disregarded with impunity and a procedure evolved for appointment which cannot be said to be in any way fair or above board. The submission of the appellants that they had been validly appointed is in the circumstances unacceptable. Nor can we accede to their prayer to continue in service. No doubt, at the time of issuance of the notice on the special leave petition, this Court had restrained the termination of services of the appellants. However, having regard to the facts of the case as have emerged, we are of the opinion that this Court cannot be called upon to sustain such an obvious disregard of the law and principles of conduct according to which every judge and anyone connected with the judicial system are required to function. If we allow the appellants to continue in service merely because they have been working in the posts for the last 15 years we would be guilty of condoning a gross irregularity in their initial appointment. The High Court has been more than generous in allowing the appellants to participate in any fresh selection procedure as may be held and in granting a relaxation of the age limit."

9. For the foregoing reasons and in view of the above-quoted dictum of the Apex Court, we do not find any merit in the claim of the petitioner, who got his appointment by way of back door entry. The petitioners' appointment, apparently, is an act of favouritism by the authorities concerned.

10. We do not find any substance in the submission of Mr. Sharad Sharma, the learned counsel for the petitioner that he writ petition should not be heard by a Division Bench and should be sent for hearing on admission before a Single Bench, as admittedly the writ petition, on the date of its filing, was cognizable by a Division Bench and it was so listed before a Division Bench on 25.05.2004,

05.06.2004 and 23.07.2004 and no such objection was raised on behalf of the petitioner.

11. For the foregoing reasons, the writ petition is liable to be dismissed and is, hereby, dismissed summarily.

12. Consequently, the interim order dated 28.06.2002 stands vacated automatically.

(Prafulla C. Pant, J) **(Rajeev Gupta, C. J.)**
20.06.2006 20.06.2006

G